न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 6/2019 प्रार्थना पत्र अवमानना

1. बाबूलाल पुत्र मुरलीनाथ जाति जोगी निवासी गुर्जर सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थी

अपील विरूद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 10.11.2017 की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा अवैध कार्यवाही कर अपीलान्ट के परिसर गेस्ट हाउस को दिनांक 29.11.2017 को सीज करने की कार्यवाही को निरस्त करने एवं न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 27.11.2017 की अवमानना बाबत प्रार्थना पत्र

उपस्थिति : श्री राजेन्द्र योगी, अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

:– निर्णय :– दिनांक: 08.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय द्वारा पूर्व में अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही में अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 10.11.2017 को बेदखली का आदेश पारित फरमा दिया और शास्ति कायम कर दी। अपीलान्ट ने इस आदेश के विरूद्ध न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के समक्ष उनवानी अपील बाबूलाल बनाम सरकार मु0 नं0 117/17 पेश कर दी। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा उक्त अपील का निर्णय दिनांक 27.11.2017 को फरमाते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 10.11.2017 को निरस्त कर दिया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 29.11.2017 को अपने निर्णय 10.11.2017 की पालना में अपीलान्ट के गेस्ट हाउस सीज कर अवैध व मनमानी कार्यवाही की है, जबकि उक्त आदेश न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तहसीलदार सिकराय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.11.2017 की पालना में दिनांक 29.11.2017 को अपीलान्ट के गेस्ट हाउस को सीज कर ताला लगा दिया और अपने कब्जे में ले लिया। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट के उक्त परिसर को सीज करने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि तहसीलदार सिकराय का पूर्व आदेश अस्तित्व में ही नहीं रहा। त्हसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 29.11.2018 को ग्राम मीना सीमला तहसील सिकराय में अपीलान्ट के गेस्ट हाउस को सीज करने की कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अवमानन पेश किया गया है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय से तथ्यात्मक टिप्पणी एवं मूल रिकॉर्ड तलब किया गया तथा दिनांक 04.02.2019 को अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 27.11.2017 द्वार पूर्व में इस न्यायालय में प्रस्तुत उनवानी अपील बाबूलाल बनाम सरकार मु0 नं0 117/17 में तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 10.11.2017 को निरस्त फरमा दिया था। फिर भी तहसीलदार सिकराय द्वारा दिनांक 29.11.2017 को अपीलान्ट के गेस्ट हाउस को अपने आदेश दिनांक 10.11.2017 की पालना में सीज कर दिया गया जो सरासर अवैध रूप से की गई कार्यवाही है। तहसीलदार सिकराय को अपीलान्ट के गेस्ट हाउस को सीज करने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योकि न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 27.11.2017 द्वारा तहसीलदार सिकराय के आदेश दिनांक 10.11.2017 को निरस्त किया जा चुका था। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के पूर्व में पारित निर्णय में अपीलान्ट को अतिक्रमी नहीं माना था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर दिनांक 29.11.2017 को की गई कार्यवाही बाबत् गेस्ट हाउस को सीज करने को निरस्त फरमाकर अपीलान्ट के गेस्ट हाउस को सीज से मुक्त करवाकर उसका कब्जा सुपुर्द करने की कृपा करे।

जवाब बहस में राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवदेन किया गया कि इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.11.2017 की पालना में वास्तविक अतिक्रमी को नोटिस जारी कर विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रकरण न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में विचाराधीन है।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार सिकराय से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार सिकराय की रिपोर्ट के अनुसार इस न्यायालय के निर्णय के प्राप्त होने से पूर्व ही उपखण्ड अधिकारी सिकराय के आदेशानुसार मौका जब्ती कार्यवाही की गई थी एवं इस न्यायालय के निर्णयानुसार वास्तविक अतिक्रमी को नोटिस जारी कर विधिवत रूप से सुनवाई की जाना व्यक्त किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त निर्णय से सम्बन्धित प्रकरण अपीलेट न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर मे विचाराधीन है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय की आदेशिका में न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा स्थगन आदेश होना अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अवमानना को स्वीकार किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवमानना खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सिकराय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official